# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

सीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

स्व प्रार्थना पत्र संख्या : 24/2021

MS NO. : 2021/54

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

1. गंगाराम पुत्र कानाराम
2. छोटी देवी पत्नी भंवरलाल
3. गलकूदेवी पत्नी रामदेव
4. भोलाराम पुत्र मोडाराम
5. राजुराम पुत्र मोडाराम
6. गोमाराम पुत्र मोडाराम
7. बुद्धाराम पुत्र मोडाराम
8. बुद्धाराम पुत्र सुजाराम
9. पुकराज पुत्र सुजाराम
10. नोसरी देवी पत्नी मेन्दूलाल
11. नाथूराम पुत्र श्रवणराम
12. चन्द्राराम पुत्र मानाराम
13. पांचाराम पुत्र कानाराम
14. पुसाराम पुत्र हरजी
15. हरीराम पुत्र हीराजी
16. हरदेव पुत्र हीरा
17. छोटू पुत्र भागू
18. मुन्नाराम पुत्र सुखदेव
19. राधा पत्नी हीरा
20. मांगू पुत्र भागू
21. रामा पुत्र भागू सभी जातियान गूर्जर निवासी कोटडिया पटवार हल्का कुडकी तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. तहसीलदार जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला– पाली (राज.)।

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

**तारीख रजू:. 09/03/2021**

उपस्थितः– 1. श्री राजीव लोचन एवं चावण्डदान बारहठ,अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. राज पैरोकार, तहसीलदार, जैतारण।

**–:: निर्णय ::–** **दिनॉकः– 28/02/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का राजस्व मौजा– कोटडिया पटवार हल्का कुडकी तहसील जैतारण में प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि आई हुई है जिसका विवरण निम्न है–

| खसरा नम्बर | रकबा |
|---|---|
| 1. 2/4 | [illegible]656) बीघा |
| 2. 37 | 1[illegible]04(1.8130) बीघा |
| 3. 38 | [illegible]540) बीघा |
| 4. 44 | 17–01(2.7600) बीघा |
| 5. 45 | 2–10(0.4046) बीघा |
| 6. 46 | 0–08(0.0648) बीघा |
| कुल खसरा संख्या 6 | कुल रकबा 75–15 बीघा |

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्त वर्णित भमि के प्रार्थीगण काबिज खातेदार काश्तकार है उक्त कृषि भूमि की बंदी खतौनी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के चारो तरफ बन्दोबस्त विभाग व राजस्व विभाग की और से गांकन के मुढे (बाउण्ड्री मार्क) नही होने से प्रार्थीगण की जमीन के चारो तरफ स्थित भूमि के खातेदार काश्तकार सीमा को लेकर विवाद करते रहते है जिससे प्रार्थी की न में प्रार्थी तारबन्दी नही करा पा रहा है इससे प्रार्थीगण की फसलों को जंगली व ारा जानवरो से नुकसान हो रहा है इस हेतू प्रार्थी ने अप्रार्थी तहसीलीदार जैतारण को गांकन व पत्थरगढी हेतू आवेदन किया मगर तहसीलदार जैतारण द्वारा खारिज कर गया जिसकी नकल प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। इसलिए प्रार्थनापत्र सीमांकन व रगढी हेतू श्रीमान लैण्ड रेवेन्यू ऑफिसर को पेश है। यह है कि डाइरेक्टर लैण्ड रेकर्ड ोबस्त विभाग भू राजस्व विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पेमाईस के नियमो में लाईट सर्वे के नियम बना दिये गये है जिसके तहत राजस्थान सकार द्वारा श्रीमान आदेश से पैमाईश की जा सकती है। इस हेतू यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष तुत किया जा रहा है। पैमाईस का सम्पूर्ण खर्चा प्रार्थी वहन करने को तैयार है।
ः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र में वर्णित प्रार्थीगण की खातदारी व जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2/4,37,38,44,45,46 वाके सरहद मौजा टडिया पटवार हल्का कुड़की तहसील जैतारण का सेटेलाईट से पेमाईस बन्दोबस्त विभाग धपुर भू प्रबन्धन अधिकारी के माध्यम करायी जाकर पत्थरगढी करायी जावे इस हेतू ब बस खर्चा प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए म्मन तलब किया गया। तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा मय भू. अभिलेख निरीक्षक स व पटवार हल्का कुडकी की रिपोर्ट दिनांक 02.11.2021 पेश कर जाहिर किया कि ाम कोटडिया के खसरा संख्या 2/4,37,38,44,45,46 कुल रकबा 75-15 बीघा मि में प्रार्थीगण सहखातेदार दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पर गंगाराम सहित सभी हखातेदारो का कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान व त्थरगढी की आदेश होता है तो गांव में किसी को कोई आपति नही है अतः उक्त खसरा नम्बरान् का सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी हेतू आदेश दिया जाना उचित है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है-

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील जैतारण के ग्राम कोटडिया के स्थित वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिसके सीमांकन हेतू तहसीलदार जैतारण समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया [illegible] सीमांकन कार्यवाही नहीं हो पायी। वादग्रस्त आराजी के चारो [illegible] होने के कारण अक्सर सीमा विवाद की स्थिति रहती है अतः वाद[illegible] आराजी [illegible] मौके पर सीमांकन करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:34 IST
Reason: Self Attested

2. तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का समर्थन किया है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख एवं नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है तथा वादग्रस्त आराजी भू नक्शे मे ामशुदा है। अतः कोई भी अभिलिखित खातेदार अपनी कब्जेशुदा व तरमीमयुक्त ाजी का कानूनन सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने का अधिकारी होता है। अतः ागत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

**–:: आदेश ::–**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत ा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान ा से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि ग्राम– टडिया पटवार हल्का–कुड़की तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित प्रार्थीगण की राजी खसरा संख्या 2/4 रकबा 35(5.6656) बीघा, खसरा संख्या 37 रकबा –04(1.8130) बीघा, खसरा संख्या 38 रकबा 09–12(1.1540) बीघा, खसरा ख्या 44 रकबा 17–01(2.7600) बीघा, खसरा संख्या 45 रकबा 2–10(0.4046) ा तथा खसरा संख्या 46 रकबा 0–08(0.0648) बीघा खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का नुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे उक्त खसरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। प्रार्थी क्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। हसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर ख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

ार्णय आज दिनॉक 28/02/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
प्रदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:38:34 IST
Reason: SelfAttested